संख्या-121/2025/785 पी/24-27-सिं0-4/002-155(डब्ल्यू)परि0/2024 क न-1831761

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:** 25 **मार्च, 2025**

विषय: गाजीपुर के किमी0 0.000 से किमी0 28.820 तक पुर्नस्थापना तथा नहरी भूमि सीमांकन कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1611/1319/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 24 फरवरी,**2025** तथा शासनादेश संख्या-**461 /2024/555** पी/**24-27**-सिं**0-4/001-155**(डब्ल्यू) परि**0 /2024,** दिनांक **02.08.2024** द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष **2024-25** के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक **4700-05-051-10-07-24** के अन्तर्गत **"पंचनद बैराज की परियोजना"** हेतु प्रविधानित धनराशि रू**0 1000.00** लाख में से बचत स्वरूप प्रस्तावित धनराशि रू**0 253.41** लाख का बी0एम0-9(भाग-1)प्रपत्र संख्या-A027-20242025-785P-24-27-Si-4-155 W-Pari-2024, दिनांक **25** मार्च, **2025** (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से पुनर्विनियोजित कर लेखाशीर्षक **4700-05-051-10-14-24** के अन्तर्गत **गाजीपुर के किमी0 0.000 से किमी0 28.820 तक पुर्नस्थापना तथा नहरी भूमि सीमांकन कार्य की परियोजना** हेतु धनराशि रू**0 253.41** लाख (रुपये दो करोड़ तिरेपन लाख इकतालीस हजार मात्र) परियोजना के कार्यों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि को व्यय करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना की शासनादेश संख्या-**461 /2024/555** पी/**24-27**-सिं**0-4/001-155**(डब्ल्यू) परि**0 /2024,** दिनांक **02.08.2024** द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) पुनर्विनियोग की धनराशि का सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं किया जायेगा।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(4) उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) उक्त परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समय से पूर्ण कराया जाना सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,53,41,000 (रुपये दो करोड़ तिरेपन लाख इकतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4700050511014 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

4. यह आदेश वित्त विभाग के **आर.ई.संख्या–बजट-**1-672-E-8-900-X-2024-25, **दिनाँक** 19.03.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या- 121/**2025**/785 **पी(I)/24-27-सिं0-4/002-**155**(डब्ल्यू)परि0/2024 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना),सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता स्तर-1(मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, कानपुर।
7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, फतेहपुर, उ0प्र0।
9- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
11- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1
12- नियोजन अनुभाग-3
13- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण
अनु सचिव,

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in